न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 09/2017 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00033

उनवान

1. हरी सिंह पुत्र श्री ललुआ जाति कुशवाह आयु करीब 70 साल निवासी ग्राम निशोरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर(मृत दौराने अपील)
   - 1/1. मु0 रम्पी वेवा स्व0 श्री हरी सिंह
   - 1/2. विशम्भर दयाल पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह
   - 1/3. विजय सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह

   } समस्त जाति कुशवाह नि0 ग्राम निसोरे का पुरा तह0 व जिला धौलपुर।

   1/4. सोवरन सिंह पुत्र स्व0 श्री हरी सिंह(मृत दौराने अपील)
   - 1/4/1. मु0 कमलेश वेवा स्व0 श्री सोवरन सिंह
   - 1/4/2. डोंगर सिंह पुत्र स्व0 श्री सोवरन सिंह
   - 1/4/3. टीकम सिंह पुत्र स्व0 श्री सोवरन सिंह } नाबालिग व सरपरस्ती कमलेश वेवा सोवरन
   - 1/4/4. हीरा देवी पुत्री स्व0 श्री सोवरन सिंह

   } जाति कुशवाह नि0 निसोरे का पुरा तह0 व जिला धौलपुर।

   1/5. वैजन्ती पुत्री स्व0 श्री हरी सिंह पत्नि मुन्नालाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम निशोरे का पुरा तहसील व जिला धौलपुर हाल आबाद धीमरी का पुरा तह0 व जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामे पुत्र श्री तेज सिंह
2. थान सिंह पुत्र श्री तेज सिंह
3. भजन सिंह पुत्र श्री तेज सिंह

} समस्त जाति कुशवाह नि0 ग्राम निसोरे का पुरा तह0 व जिला धौलपुर।

4. मुन्नी पुत्री श्री तेज सिंह पत्नि नामालूम जाति कुशवाह निवासी निसोरे का पुरा धौलपुर हाल निवासी खैमरी तहसील बसेडी जिला धौलपुर।
5. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप
6. कुंवरपाल पुत्र श्री रामस्वरूप

} समस्त जाति कुशवाह नि0 निसोरे का पुरा धौलपुर।

7. संतो पुत्री रामस्वरूप पत्नि मोहन जाति
8. चन्नो पुत्री रामस्वरूप पत्नि नामालूम

} कुशवाह नि0 निसोरे का पुरा हाल नि0 गंगल पुरा (डाढकी) तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

9. रघुनी पुत्र श्री किशनलाल
10. महावीर पुत्र श्री बाबूलाल
11. बलवीर पुत्र श्री बाबूलाल
12. भूरा पुत्र श्री बाबूलाल
13. रूप सिंह पुत्र श्री गोधना
14. बहादुर सिंह पुत्र श्री गोधना
15. मुन्ना पुत्र श्री गोधना
16. रामवीर पुत्र श्री ग्यासी
17. चन्दन सिंह पुत्र श्री ग्यासी

} समस्त जाति कुशवाह नि0 निसोरे का पुरा धौलपुर।

18. कुम्हेर सिंह पुत्र श्री ग्यासी(मृत दौराने वाद)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2007(प्राथमिक डिक्री) एवं दिनांक 24.07.2008(अन्तिम डिक्री) प्रकरण संख्या 87/03 उनवान तेज सिंह बनाम हरी सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. श्री देवी सिंह अभिभाषक रैस्पो0।

निर्णय दिनांक :–25.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर मु0, धौलपुर के निर्णय दिनांक क्रमशः 31.07.2007 (प्राथमिक डिक्री एवं दिनांक 24.07.2008 (अन्तिम डिक्री) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष तेज सिंह ने प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 1636, 1637 स्थित वाके ग्राम पचगॉव के बाबत् बंटवारा काश्त हेतु दावा इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1636, 1637 में वादी 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 12 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 07 लगायत 09 का पिता मृतक गोधना हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 हिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी संख्या/अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। उनका कथन है कि उन्होनें प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 06 से उनका 1/4 हिस्सा क्रय कर लिया है। परन्तु अभी तक प्रतिवादी संख्या 01/अपीलाण्ट का विवादित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड में नाम नहीं आया है और ना ही उनका कब्जा काश्त है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 12 विवादित आराजी को सम्मिलित रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अतः दावा प्रस्तुत करते हुये उक्तानुसार विवादित आराजी का विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई आदेश दिनांक 31.07.2007 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.07.2008 को अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि हर दो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। दोनों निर्णय व डिक्री पारित करते समय विवादित आराजी पर अपीलाण्ट 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज था एवं अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर पुख्ता मकान का भी निर्माण कर लिया है तथा शेष रहे हिस्से पर कृषि कार्य कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने हर दो निर्णय व डिक्री पारित करते समय तत्कालीन समय के राजस्व अभिलेख का निरीक्षण नहीं किया। जमाबन्दी प्रदर्श 1 जो कि संवत 2057 से 2060 का अपने निर्णय व डिक्री में अंकित किया है का ध्यान पूर्वक एवं न्यायिक विवेक का सही प्रयोग ना कार विधि एवं तथ्य की भूल की है। संवत 2058 से 2061 की जमाबन्दी में इन्तकाल नम्बर 1547 दर्ज है जिस पर वयनामा के आधार पर अपीलार्थी का नाम अंकित किया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव भी तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। इस प्रकार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना भी नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि यदि प्राथमिक डिक्री अवैध है तो प्राथमिक डिक्री एवं अन्तिम डिक्री की एक ही अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2018–19 पेज 410, 2009(2) पेज 775, एआईआर 2015 (सिविल) पेज 220, आरआरडी 14.05.2009 पेज 310, आरआरटी 2018–19 पेज 145, आरआरडी 1992 पेज 21, 17, 117, आरएलडब्ल्यू 2006(4) पेज 2865 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने एवं

अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को क्रय करने बाबत् एवं अपने कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी। इसके अलावा प्रकरण में उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही में अनुपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। परन्तु दौराने बहस विवादित आराजी के विक्रय को स्वीकार करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 के अंकनो के आधार पर किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट हरी सिंह ने जवाब दावा में विवादित आराजी के 1/4 हिस्से को प्रतिवादीगण संख्या 02 लगायत 06 से जरिये वयनामा दिनांक 22.05.2003 को क्रय करना बताया है। इसके अलावा पत्रावली पर उपलब्ध छायाप्रति जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 की प्रस्तुत है, जिसमें इंतकाल नम्बर 1547 से पूर्ण खाते में रामस्वरूप, रघुनी, महावीर सिंह, बलवीर सिंह, भूरा नाबालिग पिसरान बाबूलाल सरपरस्त भाई खुद महावीर के बजाय हरी सिंह पुत्र ललुआ जाति कुशवाह सा0 निसोरे का पुरा हिस्सा 1/4 का नाम दर्ज अभिलेख है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त जगाबन्दी के अंकन की ओर कोई गौर ना करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। जमाबन्दी संवत 2058 से 2061 में अपीलाण्ट का नाम विवादित आराजी पर जरिये इंतकाल नम्बर 1547 से आया है। अतः प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट का विवादित आराजी में स्वत्व बनता है। दौराने बहस अभिभाषक रैस्पो0 द्वारा भी विवादित आराजी के विक्रय को स्वीकार किया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2007 (प्रारम्भिक डिक्री) एंव दिनांक 24.07.2008 (अंतिम डिक्री) अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.11.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर